## राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

## 66वीं बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के कार्य बिन्दुओं से संबंधित कृत कार्यवाही

<table>
<tr><th>क्र.सं</th><th>कार्य बिन्दु</th><th>कृत कार्रवाई</th></tr>
<tr><td>1.</td><td><u>शासन से संबंधित कार्य बिंदु</u> :<br><br>क) राजस्व विभाग एवं एन.आई.सी. द्वारा कृषि ऋणों के विरुद्ध "भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार" दर्ज करने से संबंधित वेब एप्लीकेशन में Real Time Display की सुविधा शेष बचे 02 तहसीलों (नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर / ख्यान्सु, जिला नैनीताल) में लम्बित है।<br><br>ख - i) सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाएं यथा एन.यू.एल.एम. / एन.आर.एल.एम. / वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना / होम स्टे / हथकरघा बुनकर योजना / स्पेशल कम्पोनेंट प्लान आदि में वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संबंधित (सूडा / ग्राम्य विकास विभाग / पर्यटन विभाग / उद्योग विभाग / समाज कल्याण) विभाग कैम्प मोड में ऋण आवेदन पत्रों को एकत्रित कर, पर्याप्त संख्या में बैंकों को प्रेषित करें।<br><br>ख - ii) समाज कल्याण विभाग, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान योजनांतर्गत बैंकों को प्रेषित / लम्बित आवेदन पत्रों की शाखावार / बैंकवार सूची सॉफ्ट कॉपी में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध करायें।<br><br>ख - iii) संबंधित विभाग यथा सूडा / ग्राम्य विकास विभाग द्वारा योजनांतर्गत बैंकों को प्रेषित / लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की त्वरित अनुवर्ती कार्यवाही एवं निगरानी हेतु एक पोर्टल बनाया जाए।<br><br>ग - i) आरसेटी संस्थानों द्वारा बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों पर व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की जानी लम्बित है, जिसका विवरण निम्नवत है।<br><br>(₹ लाखों में)<br><table><tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>प्रशिक्षणार्थियों की संख्या</th><th>लम्बित राशि</th></tr><tr><td>2016-17</td><td>209</td><td>3.71</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>470</td><td>18.55</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>215</td><td>13.13</td></tr></table></td><td><u>शासन से संबंधित कार्य बिंदु</u> :<br><br>क) भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार" दर्ज करने से संबंधित वेब एप्लीकेशन में Real Time Display की सुविधा शेष बचे 02 तहसीलों (नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर / ख्यान्सु, जिला नैनीताल) के संबंध में सूचना प्राप्त होना प्रतीक्षित है।<br><br>ख - i) संबंधित विभागों द्वारा सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने संबंधी सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को दी गयी है।<br><br>ख - ii) संबंधित विभाग द्वारा योजनांतर्गत बैंकों को प्रेषित / लम्बित आवेदन पत्रों की शाखावार / बैंकवार सूची हार्ड कॉपी में दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 को उपलब्ध करायी गयी है, जिसके निस्तारण किए जाने हेतु बैंकों को निर्देशित किया गया है।<br><br>ख - iii) संबंधित दोनों विभागों से वांछित कार्यवाही किए जाने की सूचना प्रतीक्षित है।<br><br>ग - i) अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू.एस.आर.एल.एम. उत्तराखंड द्वारा उनके पत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि डे-एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत आरसेटी प्रशिक्षण व्यय निम्नानुसार अवमुक्त कर दिए गए हैं : (₹ लाखों में)<br><table><tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>प्राप्त राशि</th><th>लम्बित राशि</th></tr><tr><td>2016-17</td><td>1.18</td><td>2.53</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>6.53</td><td>12.02</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>9.70</td><td>3.43</td></tr></table></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | कुल योग 894 35.39<br><br>**ग - ii)** शासन द्वारा आरसेटी संस्थान देहरादून के लिए भवन निर्माण हेतु आबंटित / चयनित भूमि, जो विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक अवरोधों के कारण अनुकूल नहीं हैं, के स्थान पर नयी भूमि का आबंटन / चयन किया जाना अपेक्षित है।<br><br>**घ)** मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट 2016 के अनुरुप राज्य के लिए एक पृथक लैण्ड लीज एक्ट बनाया जाना। | कुल योग 17.41 17.98<br><br>**ग - ii)** भूमि का पुन: आबंटन अभी लम्बित है यद्यपि इस विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू.एस.आर.एल.एम. द्वारा आरसेटी संस्थान देहरादून को उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, देहरादून को पत्रांक 605/36/यूएसआरएलएम/आरडी/2014-15 दिनांक 28 सितम्बर, 2018 को प्रेषित किया गया है।<br><br>**घ)** मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट 2016 के अनुरुप राज्य के लिए एक पृथक लैण्ड लीज एक्ट बनाये जाने संबंधी सूचना प्रतीक्षित है। |
| **2.** | **<u>भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कार्य बिंदु</u> :**<br><br>**क)** दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास योजना (होम स्टे) में वैधानिक / तकनीकी समस्या के समुचित समाधान हेतु ऐसे ऋण प्रस्ताव जहाँ पर नये भवन एवं भवन विस्तार का कार्य के विषय पर योजना में बैंकों के नियमों की बाध्यता दूर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी हितधारकों एव बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर समाधान करें।<br><br>**ख)** एम.एस.एम.ई. सेक्टर की गैर-निष्पादित अस्तियों में सुधार लाने के हेतु गठित कमेटी में इकाइयों के सुधार, पुनर्जीवन एवं पुनर्गठन पर कार्य योजना के अनुरुप निगरानी।<br><br>**ग)** भारतीय रिजर्व बैंक राज्य में किसानों के सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए एक कार्ययोजना बनाए, जिससे किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोका जा सके। | **<u>भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कार्य बिंदु</u> :**<br>**क)** संबंधित विषय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख बैंक नियंत्रकों (एस.बी.आई., पी.एन.बी., बी.ओ.बी., यू.जी.बी., सहकारी बैंक, यू.बी.आई. एवं ओ.बी.सी.), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड तथा शासन स्तर से अपर सचिव (पर्यटन) एवं अधिकारियों द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 को आहूत बैठक में प्रतिभाग किया गया था, जिसमें बैंकों द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदुओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तराखंड शासन को सूचित किया गया है, जिस पर अपेक्षित कृत कार्यवाही अभी प्रतीक्षित है।<br><br>**ख)** एम.एस.एम.ई. सेक्टर की गैर-निष्पादित अस्तियों में अपेक्षित सुधार लाने हेतु उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में दिनांक 15 नवम्बर, 2018 को राज्य के प्रमुख बैंकों के साथ द्वितीय बैठक आयोजित की गयी है।<br><br>**ग)** राज्य में किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के मुद्दे पर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2018 को आयोजित बैठक में सभी हितधारकों ने विभिन्न योजनाओं, जो कि किसानों के हितों के लिए चलायी जा रहीं हैं, का विवरण दिया था। उसी के अनुरुप एक रोडमैप बनाया गया है, जो कि सभी हितधारकों को अपडेट करने के लिए कहा जा सकता है। |

| | | |
|---|---|---|
| **3.** | **<u>बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदु</u> :** | **<u>बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदु</u> :** |
| | **क)** समस्त बैंक वित्तीय वर्ष 2018-19 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत उन्हें आबंटित लक्ष्यों के सापेक्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्वितीय त्रैमास हेतु निर्धारित मानक **40%** की सेक्टरवार प्राप्ति करें। | **क)** वित्तीय वर्ष 2018-19 की द्वितीय तिमाही की समाप्ति पर वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य **₹ 20,025 करोड़** के सापेक्ष **₹ 8256.28 करोड़** की प्राप्ति दर्ज की गयी है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वितीय तिमाही के मानक **40%** के सापेक्ष **41 %** है। |
| | **ख - i)** सभी अग्रणी जिला प्रबंधक जिले की डी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी. की बैठक में जिलाधिकारी महोदय के साथ एस.एस.ए. में बी.सी. नियुक्त करने विषयक विस्तृत रुप से बैंकवार चर्चा करें, जिससे कि जिला प्रशासन के सहयोग से बी.सी. की नियुक्ति संभव हो सके। | **ख** - i) इस विषयक संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही किए जाने हेतु अवगत कराया गया है। |
| | **ख - ii)** संबंधित बैंकों द्वारा एस.एस.ए. में बी.सी. नियुक्ति की प्रगति रिपोर्ट, एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु, साप्ताहिक अंतराल पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को उपलब्ध करायी जाए, जिसका बैंकवार विवरण एजेण्डा एवं कार्यवृत्त में अंकित है। | **ख - ii)** बैंकों से इस विषयक प्रगति रिपोर्ट नियमित अंतराल पर मांगी जा रही है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा भी सभी लम्बित एस.एस.ए. की सूची महानिदेशक, टर्म को इस आशय / अनुरोध के साथ उपलब्ध करायी गयी है कि वे वी.-सैट के स्थान पर वैकल्पिक कनेक्टिविटी का सर्वे कराकर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को सूचना देकर सहयोग करेंगे। जून, 2018 त्रैमास में लम्बित **642** एस.एस.ए. में से **129** एस.एस.ए. में बी.सी. नियुक्त करने की सूचना प्रेषित की गयी है। वर्तमान में **513** एस.एस.ए. में बी.सी. नियुक्त करना लम्बित है। |
| | **ख - iii)** कनेक्टिविटी रहित अवशेष बचे एस.एस.ए., जहाँ वी.-सैट लगाया जाना अभी लम्बित है, में संबंधित बैंक वी.-सैट लगाने के कार्य को अविलम्ब पूरा करें, जिसका बैंकवार विवरण एजेण्डा एवं कार्यवृत्त में अंकित है। | **ख - iii)** जून, 2018 त्रैमास तक लम्बित **152** एस.एस.ए. में से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा **33** स्थानों पर वी.सैट लगाने एवं बैंक ऑफ बड़ौदा /उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा 05 स्थानों पर वैकल्पिक कनेक्टिविटी उपलब्ध होना सूचित किया गया है। वर्तमान में **113** एस.एस.ए. में वी.-सैट लगाया जाना लम्बित है। |
| | **ख - iv)** जिन एस.एस.ए. में बी.सी. / सी.एस.पी. नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ पर बैंक सरकारी राशन विक्रेताओं, सी.एस.सी. (Common Service Centre) एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों विशेष रुप से महिला सदस्य एवं सेवानिवृत्त इच्छुक सैनिकों को बी.सी. / सी.एस.पी. | **ख** - iv) इस विषय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा नाबार्ड को बी.सी. सेन्टर की सूची इस आशय से उपलब्ध करायी गयी है कि नाबार्ड के स्तर पर गठित महिला एस.एच.जी. के इच्छुक सदस्यों की SSA-wise सूची संबंधित |

के रुप में नियुक्त करने की कार्यवाही करेंगे, जिसका विवरण एजेण्डा एवं कार्यवृत्त में अंकित है।

**ग)** डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर में अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के उददेश्य से पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में आधार सीडिंग का प्रतिशत सितम्बर, 2018 त्रैमास तक 85% तक किया जाए।

**घ)** सभी बैंक अवशेष बचे खातों में रु-पे डेबिट कार्ड जारी करें एवं अवितरित 62,132 डेबिट कार्ड संबंधित खाताधारकों को **deliver** करें।

**ङ)** सभी संबंधित बैंक लम्बित 78 आधार पंजीकरण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन हेतु चयनित शाखाओं में लम्बित कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें, जिसका विवरण एजेण्डा एवं कार्यवृत्त में अंकित है।

**च)** सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में, योजना के सम्मुख अंकित लम्बित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण संबंधित बैंक द्वारा किया जाए :

| योजना | लम्बित ऋण आवेदन पत्र |
|---|---|
| पी.एम.ए.वाई. | 1400 |
| एन.आर.एल.एम. | 405 |
| पी.एम.ई.जी.पी. | 271 |
| एन.यू.एल.एम. | 195 |
| एस.सी.पी. | 182 |
| वी.सी.एस.जी.पी.एस.वाई. | 41 |

**छ)** दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) योजनांतर्गत ऐसे सभी ऋण आवेदन पत्र जिनमें भवन निर्माण / पुराने भवन के विस्तार की आवश्यकता नहीं है तथा ऋण राशि ₹ 10.00 लाख से कम है, पर ऋण वितरण का कार्य तुरंत आरम्भ कर दिया जाए एवं प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित की जाए।

बैंक को उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेंगे।

**ग)** बैंकों द्वारा सितम्बर, 2018 त्रैमास तक पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में **82%** आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

**घ)** सितम्बर, 2018 त्रैमास में बैंकों द्वारा **9,902** रु-पे डेबिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं तथा वर्तमान में **55,375** डेबिट कार्ड वितरण करना प्रक्रियाधीन है।

**ङ)** चयनित **230** आधार पंजीकरण केंद्रों में से अभी तक **183** केंद्रों में कार्य सुचारु रुप से निष्पादित किया जा रहा है तथा शेष **47** केंद्रों पर कार्य प्रारम्भ करना प्रक्रियाधीन है।

**च)** संबंधित बैंकों द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं में लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण का कार्य प्रगति में है। शेष लम्बित आवेदन पत्रों में सितम्बर, 2018 त्रैमास में प्रेषित आवेदन पत्र भी सम्मिलित हैं, जिनकी स्थिति निम्नवत है :

| योजना | स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या | लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| पी.एम.ए.वाई. | 67 | 352 |
| एन.आर.एल.एम. | 751 | 866 |
| पी.एम.ई.जी.पी. | 1482 | 997 |
| एन.यू.एल.एम. | 529 | 495 |
| एस.सी.पी. | 592 | 434 |
| वी.सी.एस.जी.पी. एस.वाई. | 47 | 73 |

**छ)** दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित बैठक, जिसमें प्रमुख बैंक नियंयत्रक व पर्यटन विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे, में यह बिंदु उठाया गया कि योजना के विषय में विभाग द्वारा यह स्पष्ट करने की व्यवस्था की जाए कि उक्त योजना की प्रकृति आवासीय अथवा व्यवसायिक है, जिसके स्पष्ट होने के उपरांत ही बैंकों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही किया जाना व्यवहार्य होगा। इस संदर्भ में विभाग

| | | |
|---|---|---|
| | | द्वारा अवगत कराया गया है कि अपेक्षित संशोधन प्रक्रियाधीन है। |
| | **ज)** सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में यदि बैंकों से कोई इच्छुक व्यक्ति ऋण लेने हेतु संपर्क करता है, तो वह ऐसे व्यक्तियों के आवेदन पत्रों को संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया जाए। | **ज)** इस विषयक बैंकों को अपेक्षित कार्यवाही करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा निर्देशित किया गया है। |
| | **झ)** सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु बैंकों को एक रणनीति के तहत विशेष प्रयास करने होंगे। | **झ)** सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बैंकों द्वारा ऋण पात्रता पूरी करने वाले ऋण आवेदन पत्रों पर अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है तथा शेष को वापिस किया गया है। |
| | **ञ)** समस्त बैंक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना - खरीफ 2018 के अंतर्गत बीमा आच्छादित कृषकों का डाटा, जिसकी सूची बैंकों को प्रेषित की गयी है, अनिवार्यत: भारत सरकार के फार्मर पोर्टल **www.pmfby.gov.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। | **ञ)** एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत क्रमश: **86 हजार** एवं **40 हजार बीमित** कृषकों का डाटा **www.pmfby.gov.in** पोर्टल पर अपलोड किया गया है। |
| | **ट)** समस्त बैंक वित्तीय वर्ष 2018-19 में सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं को प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित समय सीमा 45 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। | **ट)** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित समय सीमा 45 दिन के अंदर करने हेतु बैंको को पुन: निर्देशित किया गया है। |
| | **ठ)** समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत अपने जिले में नगर निकायों के द्वारा बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। | **ठ)** नगर निकायों द्वारा बैंकों को प्रेषित ऋण आवेदन पत्र, जो योजनांतर्गत मानदण्डों को पूरा करते हैं, को ऋण वितरण का कार्य निष्पादित किया जा रहा है। बैंकों द्वारा सीधे रुप से प्राप्त आवास ऋण में से **1025** को योजना में ऋण स्वीकृत किया गया है। |
| | **ड)** समस्त बैंक कैम्प मोड में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करें। | **ड)** समस्त बैंक द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत **55759** पात्र व्यक्तियों को ₹ **906.07 करोड़** का ऋण प्रदान किया गया है। |
| | **ढ)** अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड नये उद्यमियों की सूची पूर्ण विवरण सहित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराए, जिससे कि उन इकाइयों को वित्तपोषित करने हेतु संबंधित बैंकों को | **ढ)** अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा नये उद्यमियों की सूची पूर्ण विवरण सहित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराना प्रतीक्षित है, जिसके |

| | | |
|---|---|---|
| | वांछित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा सके। | लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा पत्र प्रेषित कर आग्रह किया गया है, जिसका उत्तर प्रतीक्षित है। |
| | **ण)** केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए समस्त बैंक अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत कवर करना सुनिश्चित करें। | **ण)** सितम्बर, 2018 त्रैमास तक केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना की प्रगति निम्नवत है :<br><br>**योजना** / **आच्छादित खातों की संख्या**<br>पी.एम.एस;बी.वाई. — 13,09,124<br>पी.एम.जे.जे.बी.वाई. — 3,79,036<br>ए.पी.वाई. — 1,01,200 |
| | **त)** निम्न **जिलों** का ऋण-जमा अनुपात **जून, 2018** त्रैमास की समाप्ति पर **40 प्रतिशत** से कम रहा है।<br><br>**जिला** / **जून, 2018** / **जिला** / **जून, 2018**<br>अल्मोड़ा — 29% — रुद्रप्रयाग — 26%<br>पौड़ी — 24% — बागेश्वर — 29%<br>टिहरी — 24% — पिथौरागढ — 35%<br><br>संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली त्रैमासिक, ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने विषयक उप-समिति की बैठक में रेखीय विभागों, बैंकों एवं नाबार्ड के साथ विभिन्न गतिविधियों जैसे JLG, SHG, FPO, Cold Storage, DEDS हेतु ऋण वितरण की कार्ययोजना बनाएं और उसे क्रियान्वित करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि जिले के ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि दर्ज की जा सके। | **त)** निम्न **जिलों** का ऋण-जमा अनुपात सितम्बर, 2018 त्रैमास की समाप्ति पर **40 प्रतिशत** से कम रहा है।<br><br>**जिला** / **सितम्बर, 2018**<br>अल्मोड़ा — 23%<br>पौड़ी — 23%<br>टिहरी — 38%<br>रुद्रप्रयाग — 25%<br>बागेश्वर — 27%<br><br>सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली त्रैमासिक ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु गठित उप-समिति की बैठक में रेखीय विभागों, बैंकों एवं नाबार्ड के साथ बैठक की गयी तथा संबंधित विभागों एवं बैंकों को ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। |
| | **थ)** बैंकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग की प्रगति रिपोर्ट मासिक आधार पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित की जाए, जिससे प्रगति की गत त्रैमास की तुलना में समीक्षा की जा सके। | **थ)** डिजीटल बैंकिंग के माध्यम से राज्य में सितम्बर, 2018 तक निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी है :<br><br>(₹ करोड़ में)<br><br>त्रैमास / कुल ट्रान्जेक्शन / ट्रानजेक्शन धनराशि<br>सितम्बर, 2018 — 59209302 — 88401.71 |

| | | |
|---|---|---|
| | **द)** सभी बैंक शिक्षा ऋण के अन्तर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष 31 अगस्त, 2018 तक की एन. पी. ए. की स्थिति 20 सितम्बर, 2018 तक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपल्बध कराएं। | **द)** शिक्षा ऋण के अन्तर्गत वितरित ऋणों की स्थिति निम्नवत है :<br>(₹ करोड़ में)<br>कुल शिक्षा ऋण खाते: 36,406<br>कुल अग्रिम धनराशि: 1169.14<br>कुल एनपीए खाते: 1349<br>कुल एनपीए धनराशि: 37.17<br>**एनपीए %: 3.18%** |
| | **ध)** कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों की संख्या, जो कि अन्य मद में 16265 दर्शायी गयी थी, के संदर्भ में विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी उपलब्ध कराएं। | **ध)** ज्वाइंट लाइबलिटी ग्रुप, एग्री गोल्ड लोन, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों को वितरित गृह ऋण, कार ऋण, ट्रेक्टर ऋण व बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की विभिन्न अनुषंगी गतिविधियों हेतु बनायी गयी ऋण योजनाओं में दिए गए ऋण शामिल हैं। अन्य गतिविधियों हेतु आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, यस बैंक, उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस बैंक एव आई.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा प्रमुख रुप से वित्तपोषण किया गया है। |
| | **ण)** सभी बैंक सरकारी योजनाओं में 30 सितम्बर, 2018 तक वितरित ऋणों के सापेक्ष एन. पी. ए. की स्थिति, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 तक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपल्बध करायें। | **ण)** इस विषयक बैंकों द्वारा सूचना प्रतीक्षित है। |
| **4.** | सभी बैंक नियंत्रक, 30 सितम्बर, 2018 की त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी **1-**48 पूर्णत: जाँच करने के उपरांत एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट **www.slbcuttarakhand.com** पर सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक **15 अक्टूबर, 2018** तक ऑन-लाइन प्रेषित करें।<br>**(कार्रवाई - सभी बैंक)** | बैंकों द्वारा एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर ऑन-लाइन डाटा **25 अक्टूबर, 2018** तक प्रेषित किए गए। |

**********